



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
नियम-पुस्तिका
संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के चयन के लिये
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)
(2025-2026)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्यप्रदेश के अन्तर्गत संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.), मध्यप्रदेश संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के 24 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के 24 पद का विवरण :-

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों है आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मोटर डिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता) 1.5 %
संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर	24	5	2	3	2	3	1	4	2	1	1	-	-	1	-

- निशक्तजन के लिये संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के रिक्तियों में से 01 पद निःशक्तजन के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों, लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया करे www.mponline.gov.in अथवा <http://iforms.mponline.gov.in> पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	09 / 10 / 2025
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	16 / 10 / 2025
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	03 / 11 / 2025
आवेदन पत्र त्रुटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	04 / 11 / 2025

2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँ:-

Graduate in Dental (BDS)/ Graduate in AYUSH/Graduate (any subject)

With Post Graduate Diploma (Full Time)- Hospital Administration/Hospital Management / Health Care Management/Public Health Management with regular degree from recognized university.

or

Graduate in Dental (BDS) / Graduate in AYUSH / Graduate (any subject)

With Master's degree (Full Time)- Hospital Administration/Hospital Management / Health Care Management/Public Health Management with regular degree from recognized university.

or

Graduate in Dental (BDS) / Graduate in AYUSH/Graduate (any subject)

With MBA (Full Time)-Hospital Administration/Hospital Management / Health Care Management/Public Health Management with regular degree from recognized university.

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे:-

- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- कंडिका 2 अनुसार शैक्षणिक एवं अन्य पात्रताएँ अनुसार परीक्षा की अंकसूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07-11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।

नोट:- आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारीयों का स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2025.

3 *आयु सीमा:- 21-40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2025)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 -2019 एवं समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त:जन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरण:- आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा और उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीदवारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी हैं।

4. वेतन:-

4.1 चयन के वक्त, उम्मीदवार को **संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 36200/-** रुपये दिया जायेगा।

5. आरक्षण नियम:-

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।

6. आवेदन प्रक्रिया:-

6.1 उम्मीदवारों को **03/11/2025** तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशों और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्नित)] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये हैं और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये हैं। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेड्स "सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है" आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जाँच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जाँच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेंगे। जाँच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जाँच टिप्पणी बदल सकती है।

- 6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नहीं होगा।
- 6.8 विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगा:—
- (क) बहरे कम सुनने वाले।
- (ख) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीडित मस्क्युलर डिस्ट्राफी।
- (ग) ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।
- (6.9) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. **चयन प्रक्रिया:—**
- 7.1 संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा एमसीक्यू (MCQs) आधारित ऑनलाईन लिखित परीक्षा(ओडब्ल्यूटी) का आयोजन किया जाएगा।
- 7.2 विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गए पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से सीबीटी आधारित ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- 7.3 परीक्षा केन्द्र / शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीदवारों की वास्तविकता संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 7.4 उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की पसंद प्रदान कर सकते हैं। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगा:—
- (क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताएँ।
- (ख) प्राथमिकताएँ और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद, एमपी ऑनलाइन द्वारा केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- 7.5 ई-एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन की आधिकारिक वेबसाइट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) एवं <http://iforms.mponline.gov.in> पर परीक्षा तिथि के सात (7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाइट पर होगी।
- 7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू (MCQ) प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नहीं होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
- 7.7 ऑनलाईन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होंगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and ST** मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का चयन इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।
- 7.8 उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार यदि उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:—
- (i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरियता दी जाएगी।

- (ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
- 7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है, तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीदवारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।
- 7.10 उम्मीदवार को नियमों और चयन मापदण्डों का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता है तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।
- 7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:-**
1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
 2. प्रतिरूपण किया जाना।
 3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
 4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
 6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
 7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
 8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ को कोई धमकी दी जाना।
 9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टाफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाना।
 10. पुरुष अभ्यर्थी /महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
 11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
 12. अभ्यर्थी जिस पर अपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।
8. **स्थान आवंटन:-**
- 8.1 मेरिट रैंक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।
- 8.2 उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाइस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी**, पद के लिए उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नहीं कर सकता है। यदि उसकी उम्मीदवारी का पता नहीं लगाया है तो उसकी उम्मीदवारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।
- 8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मैं पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण, केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे हैं। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. के द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।
9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया:-**
- (क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।
- (ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।
- (ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित

ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नहीं है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाएगा।

(ङ) जो उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्रदान किया जाएगा।

10. अन्य निर्देश और दिशा निर्देश:-

10.1 चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है:-

(क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीदवारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।

(ख) नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।

(ङ) नवीनतम चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(च) संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि

(छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ज) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के लिये लागू होंगे।

(झ) गर्भवती उम्मीदवार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा, और उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(अ:) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-11/2019/आप्र/ 1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल 2025 के अनुरूप होंगी।

12. चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार:-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. परिभाषाएँ:-

13.1 “ चयन परीक्षा” का अर्थ संविदा जिला क्वालिटी मॉनिटर के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट-1

District Quality Monitor (Quality Assurance)

Roles and Responsibilities:

1. Coordinating and promoting quality related activities and advocacy across the district.
2. To assist, support, conduct assessment & scoring, identify gaps and regular mentoring public health facilities for certification in the district.
3. Supporting the facilities to undertake improvement initiatives based on the gaps identified.
4. Grading of healthcare facilities based on scores achieved during quality assessments.
5. Ensuring that DQAC meets regularly and maintaining their meetings' minutes and ensuring follow-up actions have been taken.
6. Ensuring all the meetings minutes and reports are shared with SQAC and displayed on state's website.
7. Selecting facilities that may go for Certification and supporting them in the process.
8. Monitor the progress of facilities as per NQAS, LaQshya, MusQan, Kayakalp standards & IPHS compliances with regular field visits and follow-ups of the facilities.
9. Estimating district's requirements for improving quality of healthcare services. Ensuring that the requirements for Quality Assurance Activities are appropriately covered under the annual PIP sent from district to state.
10. Ensuring proper allocation of resources to the facilities based on their requirement.
11. Review the status of QA activities of facilities in the district.
12. To ensure Kayakalp assessment of all healthcare facilities in district. Ensure timely sharing of peer assessment scores with states.
13. To provide support to facilities in the district in taking appropriate and time-bound actions on closure of the gaps identified during assessments.
14. To provide technical support to facilities in gap closure and necessary documentation for preparation for State and National assessment.
15. Conducting workshops and training at district and facility level on QA related topics, Fire safety, Patient safety and Certification of healthcare facilities.
16. To provide technical assistance to health facilities in achieving compliance to statutory requirements such as Fire audit, Atomic Energy Act & AERB Guidelines, Blood bank, PC PNDT act, BMW Rules, etc. in the district.

17. To review the Patients satisfaction and 'Mera Aspataal' scores from all facilities subsequently support the facility to undertake the improvement initiatives related to lowest scoring attributes.
18. Advise on the further development of QA and patient safety across health facilities in the district.
19. To facilitate State and National level assessments and Certification process.
20. Monitoring of recording / reporting system through field visits and submit the visit reports with appropriate suggestions / actions for improvement to District authorities and SQAU.
21. Ensuring recording and documentation of all the achievements/ learnings and submitting the same to SQAC/SQAU regularly.
22. Ensuring proper distribution of incentive and award money to all facilities as per guidelines.
23. To Initiate files related to Quality assurance activities, budget and certification of facilities at district level and getting approval from appropriate authority and ensure proper utilization of allocated funds by the facilities.
24. Acts as intermediary between facilities, district, and state officials for gearing up the efforts.
25. To provide technical assistance to health facilities to operate SaQsham portal for submitting the applications and necessary documents for National certification in SaQsham portal.
26. To review the applications submitted by the facilities and verify the documents and submit them to appropriate level (SQAU).
27. Accepting/ rescheduling of assessment dates on SaQsham portal and ensuring completion of assessments on scheduled dates and ensure submission of feedbacks of the assessments by the facilities within defined timeline.
28. Coordination with the Assessors (Internal or External) and facility team for smooth conducting of assessments.
29. To monitor that certified facilities are sustaining as per certification criteria.
30. To attend to any other duties / responsibilities assigned by the DQAC, SQAU and SQAC.
31. To Perform other duties and work assigned by the district CMHO.

Special Skills and Abilities:

1. Demonstrated ability of manpower management and leadership.
2. Strong administration skills.
3. Able to exercise mature and sound judgment.
4. Able to communicate clearly, concisely and accurately with staff and patients both verbally and in writing. Have public speaking skills and capable of making presentations.
5. Ability to analyse, interpret the data and develop the key action plan based on data analysis.
6. Demonstrate counting self-development in administration.
7. Ability to resolve conflict efficiently.
8. Role model.
9. Self-starter.
10. Critical thinker.
11. Ability to deliver results in given deadlines.

District -Quality Monitor
Vacant Post

sno	District name	vacant Post
1	RAJGARH	1
2	BETUL	1
3	KHARGONE	1
4	ASHOK NAGAR	1
5	RATLAM	1
6	NEEMUCH	1
7	MANDLA	1
8	DINDORI	1
9	BALAGHAT	1
10	SATNA	1
11	SIDHI	1
12	SINGROLI	1
13	ANUPPUR	1
14	UMARIA	1
15	CHHATARPUR	1
16	TIKAMGARH	1
17	DATIA	1
18	SHIVPURI	1
19	GUNA	1
20	VIDISHA	1
21	SAGAR	1
22	DAMOH	1
23	RAISEN	1
24	SHEOPUR	1
	Total	24

